



राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ...यू.ए....

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...सा.सा.३... व भू.अ.नि. ...सा.सा.३... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...यू.ए..../नायब तहसीलदार ...यू.ए.... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ...सा.सा.३... तहसील ...यू.ए.... व जिला ...यू.ए.... की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073... में खाता संख्या ...206... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सा.सा.३	206	रतनसिंह दुग नापतसिंह हिस्सा 1/42 रक्षित पत्रावली सा.सा.३ जातेदा	रतनसिंह दुग नापतसिंह हिस्सा 1/42 जाति रा.प.प्र. निवासी सा.सा.३ जातेदा



12/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 96/2021

दिनांक :- 12-10-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ...यू.ए.... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रतनसिंह दुग नापतसिंह जाति... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। रा.प.प्र. नि. सा.सा.३ -

1126  
12-10-2021

12/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)